राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू याचिका संख्याः— 37 / 2022

अंतर्गत

अपील संख्या :—4605 / 2022

डॉ. हिम्मत सिंह खर्रा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर व अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से अपील संख्या 4605 / 2022 में यह रिव्यू याचिका प्रस्तुत की गई है। रिव्यू याचिका पर अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अशोक बंसल को सुना गया।
2. प्रकरण के संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अपीलार्थी हिम्मत सिंह खर्रा ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 4605 / 2022 प्रस्तुत की थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 03.09. 2022 को चुनौती दी थी। जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण हरिबक्स कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर से सीएचसी डूंगरपुर किया गया था। उक्त अपील का निर्णय इस अधिकरण द्वारा 09.11.2022 को किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की गई। रिव्यू याचिका प्रस्तुत कर अपीलार्थी ने कथन किया है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में अपीलार्थी को

चिकित्सा अधिकारी दिखाया गया है, जबकि अपीलार्थी का पद कनिष्ठ विशेषज्ञ का है। इस प्रकार नियम 20, राजस्थान सेवा नियम की अवहेलना करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकार के मामलों में पूर्व में इस अधिकरण द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू याचिका स्वीकार कर एवं अपील संख्या 4605/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 को अपास्त करते हुए स्थानांतरण आदेश स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी ने जो रिव्यू याचिका में आपत्ति प्रस्तुत की है, वह आपत्ति अपीलार्थी ने मूल अपील में प्रस्तुत नहीं की थी। ऐसा कोई आधार मूल अपील में नहीं उठाया था कि अपीलार्थी का पद गलत दर्शाते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण नियम–20, राजस्थान सेवा नियम की अवहेलना करते हुए स्थानांतरण किया गया है। सर्वप्रथम यह आपत्ति रिव्यू याचिका में उठाई गई है। अपने आदेश को रिव्यू करने के संबंध में जो प्रावधान धारा 6(5) राजस्थान सिविल सेवा (सेवा–मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 है, वो निम्न प्रकार से हैः–

> 6(5) "The Tribunal may, on its own motion or on the application of any party interested, review its own decision or order and pass in reference there to such order as it thinks just and proper. Provided that the Tribunal shall not review its own decision or order unless it is satisfied that there has been discovery of new and important fact or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of such party or could not be produced by such partly at the time when such decision or order was made, or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record: Provided further that no application under this sub-section shall lie to the Tribunal after the expiry of thirty days from the date of the decision or order of which review is being sought: Provided also that an application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filling the application within such time.

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि रिव्यू याचिका उस स्थिति में ही दायर की जा सकती है, जब कोई नया तथ्य अपीलार्थी की ध्यान में आया हो, जो पहले उसकी ध्यान में नहीं था या फिर रिव्यू तब किया जा सकता है, जब आदेश में कोई त्रुटि रही हो। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो उसके ध्यान में पूर्व में नहीं हो। आदेश में कोई त्रुटि भी प्रकट नहीं होती है। अतः अपने आदेश को रिव्यू किये जाने का कोई आधारा हमारे समक्ष नहीं है। पूर्व में पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यू याचिका बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज की जाती है।
5. आदेश आज दिनांक 23.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)